# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 32/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. कन्हैयालाल पुत्र नारायण जी, जाति नाई, निवासी सिनियर स्कूल के पास, ब्रह्मपुरी, धरियावाद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती पुजी उर्फ कोमल पुत्री जमनालाल पत्नी विक्रम जी सेन, जाति नाई, निवासी सदर बाजार, मोड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्रिती उर्फ प्रिया पुत्री जमनालाल पत्नी कन्हैयालाल जी, जाति नाई, निवासी खेमली, गांव खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. भगवतीलाल पुत्र लच्छीराम जी (माता चान्दी), जाति नाई, निवासी जैन मन्दिर के पास, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मंजुबाई पत्नी जमनालाल जी, जाति नाई, निवासी सिनियर स्कूल के पास, ब्रह्मपुरी, धरियावाद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्रीमती यशोदा पुत्री नारायण जी पत्नी किशनलाल जी, जाति नाई, निवासी हरिजन मोहल्ला, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. श्रीमती रामीबाई पुत्री नारायण जी पत्नी सोहनलाल जी, जाति नाई, निवासी पॉवर हाउस के पास, धरियावाद, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

................ अपीलान्टगण

बनाम

1. अनिल कुमार पोखरना पुत्र स्वर्गीय श्री छगनलाल पोखरना, जाति जैन, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. आनन्द चोरडिया पुत्र श्री बसन्तीलाल चोरडिया, जाति जैन, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. प्रकाश चन्द्र मादरेचा पुत्र श्री गोपीलाल मादरेचा, जाति जैन, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................ रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर दिनांक
05–04–2023 प्रकरण संख्या 106/2022

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री ऋषभ मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री विजय [illegible] स्तावल अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3– श्री कमलेश [illegible] राजकीय अभिभाषक रे.सं. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय** **दिनांक 19–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वल्लभनगर में खाता संख्या 802 की आराजी नंबर 2747, 2748, 2771 से 2775 कुल किता 7 रकबा 1.1800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 451/1800, वादी संख्या 2 का 209/900, वादी संख्या 3 का 451/1800, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/20, प्रतिवादी संख्या 2 का 2/20, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/15, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/60, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/60, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/60 हिस्सा राजस्व रेकार्ड दर्ज होकर पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण इस जमीन के पूर्व दिशा के हिस्से पर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में हिस्सेनुसार काबिज हैं तथा लाखों रूपये लगाकर भूमि को आबादान किया है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य कब्जे एवं हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादीगण स्वर्गीय किशोर जी के परिवार से भिन्न व्यक्ति हैं। यदि स्वर्गीय किशोर जी के उत्तराधिकारियों द्वारा भूमि को क्रय करने से मना किया जाता है तो ही बाहरी व्यक्ति को भूमि क्रय करने का अधिकार है। अतः वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

वादीगण द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में अपने हिस्से व मौके पर कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का विवादित आराजियात के किसी भी भू–भाग पर कब्जा नहीं है न ही उनका किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 05–04–2023 से वादीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार प्रतिवादीगण का काण्उटर क्लेम खारिज कर दिया तथा वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–04–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sandawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात स्वर्गीय किशोर जी के खातेदारी की होने से उनके उत्तराधिरियों द्वारा यदि भूमि विक्रय किया जाता है तो क्रय करने प्रथम अधिकार किशोर जी के अन्य उत्तराधिकारी को ही है, यदि उनके द्वारा क्रय करने से मना किया जाता है, तो ही किसी दूसरे व्यक्ति को भूमि विक्रय की जा सकती है। इस मामले में अपीलान्ट को क्रय करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में किया गया विक्रय अपने आप में प्रभाव शून्य है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2023 निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि अनुसार बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें धारा 22 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 2012 (3) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1196, 1994 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 317 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हाल जमाबन्दी संवत् 2078 से 2081 में विवादित आराजी नंबर 2747, 2748, 2771 से 2775 कुल किता 7 रकबा 1.1800 हैक्टर अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के सहखातेदारी में दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

**कन्हैयालाल पुत्र नारायण जी नाई, नि. सीनियर स्कुल के पास, ब्रह्मपुरी धरियावद, तहसील धरियावद व अन्य** बनाम **अनिल कुमार पुत्र स्व. छगनलाल पोखरना, जाति जैन, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**वल्लभनगर**... मुकाम.....मुवर्खे.....**05**.....माह.....**04**.....**2023**.....

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री ऋषभ मेघवाल**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री विजय कुमार ओस्तवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:03:07 IST
Reason: SelfAttested